E-mail Sent/Received
Date 11/7/20

कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म.प्र.)

–:: परिपत्र ::–

क्रमांक– क्यू/कोरोना वायरस/2020 नरसिंहपुर, दिनांक 11.07.2020

विषयः– कोविड–19 मामलों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में 17 जुलाई, 2020 तक जिला न्यायालय नरसिंहपुर एवं तहसील न्यायालय गाडरवारा व तेंदूखेड़ा में कार्य व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्र.– सी/2407 दिनांक 10.07.2020

––––000––––

संदर्भित परिपत्र के अनुसार भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉक डाउन के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक–क्यू/5/जबलपुर दिनांक 25 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चात् जारी विभिन्न परिपत्रों तथा परिपत्र क्रमांक–सी/1625 दिनांक–04 जुलाई 2020 की निरंतरता में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में सीमित कार्य व्यवस्था की अवधि को दिनांक–11.07.2020 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक–क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर, दिनांक 04 जुलाई, 2020 के द्वारा जिला न्यायालय, नरसिंहपुर एवं तहसील न्यायालय, गाडरवारा में प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। (उक्त निर्देश श्रृंखला न्यायालय, तेंदूखेड़ा के लिए भी मान्य होंगे) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के द्वारा उक्त व्यवस्था को दिनांक–13.07.2020 से 17.07.2020 तक विस्तारित किया गया है।

अतएव रजिस्ट्री परिपत्र क्र0 सी/1625 दिनांक–04.07.2020 के अनुक्रम में एवं इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक–क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर दिनांक –04.07.2020 के द्वारा की गई प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था 17 जुलाई, 2020 तक निरंतर जारी रहेगी।

इस अवधि में स्थापना का बार रूम केवल अभिभाषक संघ के सदस्यों के लिए इस शर्त के साथ खोला जायेगा कि वे सामाजिक दूरी एवं मास्क धारण करने सहित माननीय उच्च न्यायालय के साथ–साथ भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मापदण्डों और निर्देशों का पालन करेंगे।

अर्जेंट मामलों के साथ–साथ नियमित मामलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक–ए/911 दिनांक 05 मई, 2020 के द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी की जावे।

वरिष्ठ/कनिष्ठ, प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुभाग, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा समय–समय पर इस हेतु निरीक्षण करते रहें।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त अवधि में यदि कोई न्यायालय परिसर containment जोन/ एरिया घोषित होता है तो वह न्यायालय उक्त जोन/एरिया non-containment जोन/एरिया घोषित होने की अवधि तक बन्द रहेगा और उनसे संबंधित अत्यावश्यक कार्यों की सुनवाई संबंधित न्यायाधीश के द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा अन्य उपयुक्त ढंग से अपने निवास से ही की जायेगी और यदि न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीश का निवास स्थान containment जोन/एरिया घोषित होता है तो ऐसे न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीश उक्त जोन/एरिया non-containment जोन/एरिया घोषित होने तक न्यायालय में उपस्थिति से मुक्त रहेंगे।

संलग्नः—
रजि.परिपत्र क्र.—बी/2407
जबलपुर दिनांक 10.07.2020

Sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर

पृष्ठांकन क. 1117/कोराना वायरस/2020 नरसिंहपुर दिनांक—11.07.2020

प्रतिलिपिः—

01—माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर ।
03— जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर
04— पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर
05— समस्त न्यायाधीशगण, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
06— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे पैरालीगल वालेंटियर की हेल्प डेस्क पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
07— अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि वे कृपया समस्त अधिवक्तागण को उक्त परिपत्र से अवगत करावे।
08— जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
09— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर पूर्ववत पालनार्थ प्रेषित।
10— लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहपुर/गाडरवारा
11— जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक लोक अभियोजन अधिकारी,नरसिंहपुर/गाडरवारा /तेंदूखेड़ा
12— सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर/सिस्टम असिस्टेंट, गाडरवारा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
13— मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि न्यायालय समय पश्चात् प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सेनेटाईज करावे।
14— अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

11.7.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

Scanned with CamScanner

A
11/7/20
CK

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No.B/2407 /

Jabalpur, dated 10/07/202

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in State of M.P. as follows :

(i) The regular functioning in District Courts of 7 districts namely Hoshangabad, Dindori, Anuppur, Jhabua, Umariya, Mandla and Alirajpur has been extended from 13th July till 17th July 2020, as per Circular No.C/1625 dated 04.07.2020.

(ii) The limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020 and Circular No.Q-12 dated 4th May 2020 has been extended from 13th July, 2020 till 17 July, 2020 for the High Court as well as for remaining 43 District Courts except District Court, Indore, where only urgent matters will be heard as per circular No. Q-5, dated 25.03.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice

10.7.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Scanned with CamScanner